''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014— फाल्गुन 2, शक 1935

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-161/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) एवं (3) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"2.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	
	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	200
	प्री- मैट्रिक छात्रावास	33
	आदर्श कन्या छात्रावास	02
	माध्यमिक आश्रम (100 सीटर)	59
	माध्यमिक आश्रम (50 सीटर)	19
	प्राथमिक आश्रम (100 सीटर)	201
	प्राथमिक आश्रम (50 सीटर)	859"
	योग -	1373

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) एवं (3) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"2.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'स'	
	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	200
	प्री-मैट्रिक छात्रावास	33
	आदर्श कन्या छात्रावास	02
	माध्यमिक आश्रम (100 सीटर)	59
	माध्यमिक आश्रम (50 सीटर)	19
	प्राथमिक आश्रम (100 सीटर)	201
	प्राथमिक आश्रम (50 सीटर)	859"
	योग -	1373

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-161/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-02-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st February 2014

NOTIFICATION

No. F 1-161/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Castes Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial) Service Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For the entries relating to column (2) and (3) of Serial number 2 of Schedule-I, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)
"2.	Hostel Superintendent Grade 'C'	
	Post Metric Hostel	200

(1)	(2)	(3)
	Pre- metric Hostel	33
	Model girls Hostel	02
	Middle Ashram (100 seater)	59
	Middle Ashram (50 seater)	19
	Primary Ashram (100 seater)	201
	Primary Ashram (50 seater)	859"
		Total - 1373

2. For the entries relating to column (2) and (3) of Serial number 2 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)
"2.	Hostel Superintendent Grade 'C'	
	Post Metric Hostel	200
	Pre- metric Hostel	33
	Model girls Hostel	02
	Middle Ashram (100 seater)	59
	Middle Ashram (50 seater)	19
	Primary Ashram (100 seater)	201
	Primary Ashram (50 seater)	859"
		Total - 1373

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.